COURT FEE — दस रुपये TEN RUPEES — भारत INDIA (×3)

123

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निग./2018/जिला शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/0385

1. श्रीमती पुनियाबाई पत्नी श्री हरीशंकर कुशवाह,निवासी शिव कॉलोनी, कलेक्टर कोठी के पीछे, शिवपुरी म0प्र0
2. सुखिया बाई पत्नी श्री पदमसिंह कुशवाह, कोठी नं.11 के पीछे बाईपास रोड, शिवपुरी म0प्र0
3. श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री रमेश कुशवाह झिंगुरा, शंकरपुर, जिला शिवपुरी म0प्र0
4. श्रीमती कलावती पत्नी श्री मुन्नालाल कुशवाह, निवासी जाधव सागर रोड, शिवपुरी म0प्र0

—— निगरानीकर्तागण

(कुँवरसिंह कुशवाह (अभिभाषक)
श्री ...... द्वारा आज दि0 11-01-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-1-18 नियत।
11-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रामदयाल,
2. रामस्वरूप
3. प्रेमसिंह
4. गोपीलाल पुत्रगण कमरलाल कुशवाह, निवासी कलेक्टर कोठी के सामने, शिवपुरी म0प्र0
5. श्रीमती बिमलाबाई पत्नी श्री गोपाल कुशवाह, निवासी कोठी नं. 11 के पीछे शिवपुरी म0प्र0

—— अनावेदकगण

(कुँवरसिंह कुशवाह
11/01/2018 (एडवोकेट)

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के प्रकरण कमांक 111/2016–17/अपील रामदयाल आदि / श्रीमती पुनियाबाई आदि आदेश दिनांक 04.12.2017 को पारित।

माननीय न्यायालय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि–विधान, क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय रिकॉर्ड की सूक्ष्यमता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी ने अनावेदकगण को विधिवत तामील भेजी, तामील लेने से इंकार किया, उसके बाद पटवारी ने मौके के अनुसार हिस्सा के आधार पर फर्द बंटवारा तैयार कर विधिवत फर्द का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन के उपरांत फर्द बंटवारा का चौपाल पर चस्पा कराया। चस्पा करने के उपरांत विधिवत समय दिया गया। समय देने के उपरांत अनावेदकगण अर्थात हितधारी व्यक्तियों ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, विचारोपंरात विधिवत विवेचना के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने बंटवारे का आदेश पारित किया, जिसे एस0डी0ओ0 को देखें, समझे बिना किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।
4. यहकि, अधीनस्थ एस0डी0ओ0 न्यायालय ने यह देखें, समझें बिना कि तहसील न्यायालय ने विधिवत तामील भेजी एवं तामील लेने से इंकार किया, उसके उपरांत ही तहसीलदार ने आदेश पारित किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2018 / 0385

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.1.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण में प्रस्तुत मूल दस्तावेज वापस किये जावे। आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में मूल दस्तावेज वापस किये जाने के आदेश दिये जाते है। सदस्य	